धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त

बुद्ध और उनका मध्यम मार्ग

बुद्ध पूर्णिमा विशेष 22

दलित दस्तक

दरकिनार कर दिए गए समाज की आवाज

वर्ष: 10, अंक : 12, मई 2022 | मूल्य ₹ 35/-

28 राज्य | साढ़े तीन लाख पाठक

www.dalitdastak.com

www.youtube.com/c/dalitdastak

CELEBRATING 10 YEARS

अखंड भारत और डॉ. आम्बेडकर

दलित मत फाउंडेशन एक ट्रस्ट है। जिसके जरिये दलित दस्तक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। फाउंडेशन को 12A, 80G सर्टिफिकेट प्राप्त है। ट्रस्ट को दान देने की स्थिति में आपको इंकम टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा। हमारे हाथ को मजबूत करने के लिए हमें दान दीजिए। हर महीने एक छोटी राशि दलित मत फाउंडेशन को दान करिए। इच्छुक हैं तो संपर्क करिए–

अशोक दास

संपादक, दलित दस्तक ग्रुप **संपर्क– 9711666056**

मई 2022 अंक के साथ ही 'दलित दस्तक' मासिक पत्रिका के 10 साल पूरे हो गए हैं। 27 मई 2012 को शुरू होने के बाद पिछले 10 सालों के इस संघर्ष और रोमांच भरे सफर में साथ देने वाले सभी शुभचिंतकों और मित्रों का हम धन्यवाद करते हैं। संपादक मंडल के सभी सदस्यों (प्रो. विवेक कुमार, डॉ. पूजा राय, जे.सी. आदर्श) एवं आनंद श्रीकृष्ण, आर.के. देव सहित सभी लेखकों, विक्रेताओं और पाठकों का भी धन्यवाद, जिनके बिना यह सफर इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। संपादकीय सलाहकार और मार्गदर्शक जेएनयू के प्रो. विवेक कुमार सर का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने पहले अंक से लेकर अब तक पूरे दस सालों तक इस सफर में मार्गदर्शन किया और अपने महत्वपूर्ण लेखों के जरिये समाज को भी जागरूक किया।

– संपादक
अशोक दास

दलित दस्तक

वर्ष : 10, अंक : 12, मई 2022, संख्या-36 (आवरण सहित)

www.dalitdastak.com
Web Channel- youtube.com/c/dalitdastak
E-mail- dalitdastak@gmail.com

संपादक

अशोक दास

E-mail:- editorashokdas@gmail.com

ब्यूरो चीफ (उत्तर प्रदेश)

राजकुमार – 07258938929

ब्यूरो चीफ (बिहार)

सुशील कुमार– 9334270889

ऑफिस संपर्क :

9013942612, 9711666056

पेज डिजाइन

प्रवीण कुमार गौड़ - 8010520549

संपादक मंडल (अवैतनिक)

प्रो. विवेक कुमार
जे.सी आदर्श
डॉ. पूजा राय

संपादकीय कार्यालय

C/O- वीरेन्द्र कुमार
25/422, त्रिलोकपुरी, दिल्ली- 110091
फोन नं.- 9013942612

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी अशोक कुमार द्वारा एक्सपो प्रिंट एंड मीडिया प्रा. लिमिटेड, 97/12 ज्वाला हेड़ी, पश्चिम विहार, नई दिल्ली– 100063 से मुद्रित व मकान संख्या– 804, ब्लॉक–के, मंगोलपुरी, दिल्ली–110083 से प्रकाशित।

Like on Facebook :
https://www.facebook.com/dalitdastak5

अंक में प्रकाशित सामग्री के आंशिक या पूर्ण रूप से पुनर्प्रकाशन के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य है। लेखक के विचार व्यक्तिगत हैं। प्रकाशित सामग्री में दिये गये तथ्य संबंधी विवादों का पूर्ण दायित्व लेखक का है। संपादक, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक मंडल इसके लिए हरगिज उत्तरदायी नहीं होंगे। किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारा हेतु न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

इस अंक में

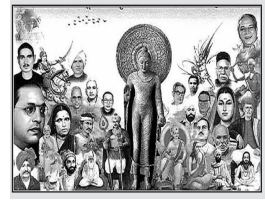

बहुजन संस्कृति **08**

बहुजनों को सांस्कृतिक नवनिर्माण की दिशा में काम करने की जरूरत

टिप्पणी **10**

नफरत और सांप्रदायिक हिंसा का बदलता चरित्र और कठघरे में सरकारें

मुद्दा **12**

धर्म राज्य की स्थापना के नाम पर ब्राह्मण राज्य की आहट

संस्कृति **18**

दलितों की बढ़ती चेतना और बौद्ध संस्कृति

अंबेडकर जयंती **20**

अम्बेडकर जयंती पर जन चेतना

टिप्पणी **29**

हिंदू वोट छीने बिना मोदी-शाह की भाजपा को नहीं हराया जा सकता

मोदी-शाह के दौर में भाजपा का खेल सीधा-सा है। 50 फीसदी हिंदू वोट जुटा लो और चुनाव जीत लो। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने इसे 80 बनाम 20 फीसदी वोटों के बीच का चुनाव कहने की गलती भले की हो लेकिन यह अनजाने में दिल की भड़ास बाहर आ जाने की एक बुरी मिसाल थी। दरअसल, वे एक सच कह गए थे। यूपी में कुल मुस्लिम वोट 19 फीसदी से ऊपर है।

स्तंभ **05**

संविधान के आधार पर बनेगी भारत की अखंडता

प्रो. विवेक कुमार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक के अनुसार हमारे देश का नाम भारत रखा गया और यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि 'इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स' यानि इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा। इससे यह प्रमाणित होता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने जिसमें बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर की निस्संदेह अग्रणी भूमिका थी का साफ-साफ यह मत था कि किसी भी धार्मिक आधार पर देश की .....

अशोक दास
(संपादक)

editorashokdas@gmail.com

हिन्दू राष्ट्र की हलचल के बीच बदलते महानगर

दिल्ली की दहलीज पर बसे एनसीआर की जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं, पिछले दिनों वहां एक नया बदलाव देखने को मिला। हनुमान जयंती के दिन जब यहां से दूर दिल्ली के जहांगीरपुरी में कट्टर हिन्दुत्व का चोला ओढ़े कुछ लोग मुसलमानों को उकसा रहे थे, उसी दिन हमारी सोसाइटी में एक झंडा टांगा गया। हनुमान जी की तस्वीर वाला... जय श्री राम लिखा... भगवा झंडा। इस झंडे के लगने के बाद अब यहां मंदिर बनाने की चर्चा सुनने में आ रही है। मैं महसूस कर रहा हूं कि यहां के लोग पहले के मुकाबले ज्यादा हिन्दू हो गए हैं। या फिर कहें कि हिन्दू होने का दिखावा करने लगे हैं। यह स्थिति क्यों आई, इसी सवाल के जवाब में दिल्ली के जहागीरपुरी हिंसा का जवाब भी है।

दरअसल सत्ता जिस तरह से अपने रंग बदल रही है, या कहें कि जिस तरह से हिन्दुओं में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भर रही है, और जिस तरह जनता सत्ता के हाथ की कठपुतली बनी दिख रही है, वह डराने वाला है। एक झंडा, एक निशान और एक नारा जिस तरह आम लोगों को सत्ता से जोड़ने लगा है और लोगों में इस नारे के जरिये जिस तरह सत्ता से जुड़ने की होड़ मची है, वह भारत की अखंडता के लिए चुनौती है।

दलित दस्तक के 10 साल पूरा होने पर पाठकों को बधाई

जहांगीरपुरी में यही सब देखने को मिल रहा है। जहांगीरपुरी में जो भी हुआ, उसके सुनियोजित होने का पुख्ता प्रमाण मिलने लगा है। जहांगीरपुरी से कई वीडियो सामने आ रहे हैं। आप मुसलमानों के वीडियो मत देखिए, सिर्फ हिन्दुओं के ही वीडियो देखिए। स्थानीय हिन्दू इस पूरी घटना के लिए हिन्दुओं को ही दोष दे रहे हैं। 'द वायर' के एक वीडियो में एक हिन्दू महिला कह रही है कि वह अपने क्षेत्र की अकेली हिन्दू है, लेकिन मुसलमानों ने उसे कभी तंग नहीं किया। न ही मुसलमानों ने कभी हिन्दुओं के मंदिरों के बाहर उत्पात मचाया। लेकिन अगर हिन्दू मुसलमानों के मस्जिदों में घुसकर हुड़दंग करेंगे। उन्हें गालियां देंगे, तो आखिर मुसलमान कब तक बर्दास्त करेंगे।

'द लल्लनटॉप' के एक वीडियो में उस हिन्दू युवक को भी सुना जाना चाहिए, जो भारी मन से अपने मुस्लिम दोस्त को लेकर फिक्रमंद है। वह शर्मिंदा है कि आखिर अब वह किस मुंह से अपने उस दोस्त से बात करेगा, जो उसके हर सुख-दुख का साथी है।

इन दोनों की बातें बताती है कि अभी उम्मीद बाकी है। उनका गुस्सा बताता है कि सत्ता में बैठे लोग जिस तरह से आम लोगों के बीच नफरत बो रहे हैं, एक बड़ा तबका उस नफरत से बचा हुआ है।

वह सत्ता और देश के संपन्न शहरी वर्ग के उस गठजोड़ की पोल भी खोल रहा है, जिसके जरिये हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा बढ़ाने की बात हो रही है। उस हिन्दू राष्ट्र की जिसकी आड़ में अखंड भारत का रास्ता तैयार किया जा रहा है। संवैधानिकता के दायरे में बात करें तो देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति के तौर पर भले हम देश के प्रधानमंत्री या फिर सर्वोच्च न्यायालय जैसे संवैधानिक संस्थानों के प्रमुखों का नाम लेंगे, लेकिन देश जिस तरह से चल रहा है और जिस विचारधारा का प्रभाव सरकार क्या, सत्ता पक्ष के हर एक मंत्री और सांसद तक पर है, वह संघ की विचारधारा है। और संघ प्रमुख मोहन भागवत पिछले दिनों अखंड भारत की वकालत कर चुके हैं। कायदे से देखा और समझा जाए तो संघ प्रमुख फिलहाल देश के सर्वोच्च प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल हैं। देश के प्रधानमंत्री तक उनके विचारों का सम्मान करते देखे गए हैं। यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और केंद्र का शासन चला रही भारतीय जनता पार्टी दोनों एक साथ खड़े हैं।

और संघ एवं भाजपा को ताकत बड़े शहरों की सोसाइटी में बसे कथित संभ्रांत लोगों से मिल रही है। यही हाल गांवों का भी है, जहां प्रभावशाली सवर्ण तबका संघ की पताका को थामे खड़ा है। यानी कुल मिलाकर खुद को सत्ता का साथी दिखाने के लालच में एक बड़ा तबका सही और गलत का फर्क भूल बैठा है। वह देश के संविधान को ताक पर रख कर हिन्दु राष्ट्र की वकालत में लग गया है। या शायद यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि इस तबके को हिन्दू राष्ट्र ही सूट करता है। तो क्या यह समझा जाय कि मुगलों की सैकड़ों सालों और अंग्रेजों की दो सौ साल की गुलामी से निकला यह कथित संभ्रांत तबका हिन्दू राष्ट्र की आहट पाते ही मचल उठा है। ऐसा है तो इस तबके को यह भी समझना होगा कि हिन्दू राष्ट्र के सामने देश का अल्पसंख्यक और अंबेडकरी समाज मजबूती से खड़ा है। क्योंकि हिन्दू राष्ट्र इस तबके को सूट नहीं करता। ■

जय सतगुरु रविदास जय भीम जय जोतिबा नमो बुद्धाय

संविधान के आधार पर बनेगी भारत की अखंडता

प्रो. विवेक कुमार

भारत की अखंडता को रेखांकित करते हुए कई आवाजें उठ रही हैं। ऐसी आवाजें पहले भी उठती रही हैं और आगे भी उठेंगी। परंतु इन सभी का उत्तर बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा रचित संविधान में साफ-साफ रेखांकित की गई है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक के अनुसार हमारे देश का नाम भारत रखा गया और यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि 'इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स' यानि इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा। इससे यह प्रमाणित होता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने जिसमें बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर की निस्संदेह अग्रणी भूमिका थी का साफ-साफ यह मत था कि किसी भी धार्मिक आधार पर देश की अस्मिता का सृजन नहीं किया जा सकता। ये सभी जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा कार्यकारी लोकतंत्र है जिसके अंदर विश्व के आठ धर्म पाए जाते हैं। यथा हिन्दू, इस्लाम, सिक्ख, ईसाई, बुद्ध, जैन, पारसी एवं बहायी धर्म को मानने वाले एक साथ इस देश में बसते हैं। और यह केवल इनकी धार्मिक अस्मिता मात्र है। मंडल कमीशन के एक आंकलन के अनुसार भारतवर्ष में पिछड़ी जातियों की 3747 जातियां, अनुसूचित जाति की 1031 जातियां तथा अनुसूचित जनजाति की लगभग 400 से अधिक मूलनिवासी जातियां यहां रहती हैं। और अगर हजारों जातियों में बंटे सवर्ण समाज को भी जोड़ दिया जाए तो इन सभी जातियों की संख्या लगभग छह हजार से अधिक हो जाती है। इन सब धर्मों को मानने वाले तथा मूलनिवासियों को आप एक अस्मिता 'हिन्दू' कह कर कैसे संबोधित कर सकते हैं? इसमें कहीं न कहीं एकांगी अस्मिता में वर्चस्वता की बू आती है।

इसमें धर्म और जातियों की अस्मिताओं से अलग भारतवर्ष में भाषाओं और भौगोलिक प्रांतों की अपनी अलग अस्मिताएं/पहचान है। बहुत से लोगों की अस्मिताएं इन भौगोलिक अस्मिताओं के आधार पर सृजित होते हैं उदाहरणार्थ, आजमगढ़ में रहने वाला आजमी, कोल्हापुर में रहने वाला कोल्हापुरी, सुल्तानपुरी में रहने वाला सुल्तानपुरी, लुधियाना में रहने वाला लुधियानवी, और इसी के साथ पंजाब में रहने वाला पंजाबी, तमिल, कन्नड़, मलयाली अनेक प्रांतीय अस्मिता को लिए हुए लोग बिना किसी धर्म और जाति के आधार पर एक दूसरे से संबंध या रिश्ता रखते हैं। और इन सब भिन्नताओं के बाद भी एक भारतीयता लिए हुए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारतीय संविधान ने अब तक करीब 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दे रखा है। और अनेक भाषाएं संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इनमें कोई भी अपने आप को हिन्दू या हिन्दुस्तानी अस्मिता से जोड़ कर नहीं देखता है। इसलिए भारतीय अस्मिता का सृजन राष्ट्र को मजबूत बनाता है, न कि हिन्दुस्तानी अस्मिता का। इसका सबसे बड़ा प्रमाण अप्रवासी भारतीयों के उदाहरण से लिया जा सकता है। भारत का पासपोर्ट लिए हुए जब भारतीय नागरिक किसी दूसरे राष्ट्र में जाता है तो वह पहचान के लिए अपने आप को हिन्दू, मुसलमान या सिक्ख की अस्मिता से नहीं जोड़ता बल्कि उसके पासपोर्ट पर भारतीय राष्ट्र का राष्ट्रचिन्ह बना हुआ होता है और विदेशों में उसकी अस्मिता आज भी भारतीय है। और इसीलिए जब विदेश में रहने वाला कोई भारतीय मूल का व्यक्ति अपने क्षेत्र में असमान्य कार्य करता है तो उसको भारतीय मूल का कह कर हम सभी भारतीय गर्व करते हैं। चाहे वो कल्पना चावला हों, सुनीता विलियम्स हो, बाबी जिंदल हो, त्रिनिदाद और टोबैगो या मॉरिशस या फिजी के राष्ट्रपति हो, सभी भारतीय मूल के अप्रवासी भारतीयों पर हम गर्व करते हैं और वैसे भी हमारे राष्ट्र भारत का सृजन धर्म, भाषा एवं भौगोलिक आधार पर नहीं हुआ। हमारे यहां राष्ट्र का सृजन भावनात्मक सिद्धांत के आधार पर हुआ है जिसमें सभी धर्म के मानने वालों, सभी भाषा को बोलने वालों तथा सभी जातियों में बंटे हुए लोगों का योगदान रहा है। हां, ये बात जरूर है कि कुछ लोगों के योगदान को ज्यादा तरजीह दी गई और कुछ लोगों के योगदान को अभी तक चिन्हित भी नहीं किया गया है। इसलिए भारत की आजादी के 68वें साल में भारतीयता को किस तरह और प्रगाढ़ किया जाए, गहरा किया जाए, विस्तृत किया जाए और ज्यादा समावेशी बनाया जाए इसके उपाय सोचने होंगे।

वैसे भी हिन्दुस्तानी अस्मिता लोगों को धर्म के आधार पर कुछ वर्णों की वर्चस्वता का बोध कराती है। सांस्कृतिक एवं संरचना के आधार पर हिन्दूवाद की अस्मिता समाज को उर्ध्वाधर (गैर बराबरी) में बांटती है और इस अस्मिता में कुछ समाजों का स्वतः वर्चस्व स्थापित हो जाता है। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनके तीज और त्यौहार, उनके भगवान, मंदिर और संपूर्ण संस्कृति स्वतः उनका वर्चस्व स्थापित कर देती है। ऐसे में दूसरे समाज यथा दलित, आदिवासी, पिछड़े, धार्मिक अल्पसंख्यक, महिलाएं, हाशिये पर ढकेल दिए जाते हैं। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नायक-नायिकाएं एवं उनका श्रम दोयम दर्जे का दिखाई देते हैं, जिनका कोई आदर नहीं करता। और कहीं न कहीं प्रजातंत्र भी समावेशी नहीं लगता है। इसलिए अगर भारतीय राष्ट्र को सशक्त बनाना है तो हमें वर्चस्वता वाली अस्मिताओं को भुलाना पड़ेगा। और अगर वह अस्मिताएं संविधान में उल्लिखित नहीं हैं तो और भी आवश्यक हो जाता है कि ऐसी अस्मिताओं को पब्लिक डिसकोर्स (जनमानस की भाषा शैली) से बाहर कर दिया जाए ताकि इस राष्ट्र में भारतीय अस्मिता का सृजन और भी प्रगाढ़ हो सके और यह राष्ट्र अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर मजबूत बन सके। क्योंकि यह देश वेद-पुराणों-संहिताओं पर नहीं संविधान के आधार पर चलेगा, जिसमें एक सौ पच्चीस करोड़ भारतीयों का कल्याण छिपा है। ■

लेखक प्रख्यात समाजशास्त्री हैं। जेएनयू में समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर रह चुके हैं।
संपर्कः vivekambedkar@yahoo.com

सच्ची घटना : उस एक घटना ने चमारों की जिंदगी बदल दी

जौनपुर जनपद का एक छोटा सा गाँव चाँदी गहना है। शहर से 6 मील दूर उत्तर में स्थित है। इस गाँव में 12 -15 घर ठाकुर, 12 - 15 घर चमार, दो घर अहीर, दो घर कहार जाति के थे। मेरा जन्म भी इसी गाँव में एक चमार परिवार में 5 जून 1947 को हुआ। पूरा गाँव केवल खेती पर आश्रित था। 80 - 90 प्रतिशत जमीन पर ठाकुरों का कब्जा था। चमार भाईयो के पास मात्र 1-2 बीघा जमीन थी। कई लोग तो ऐसे भी थे, जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नही थी।

सभी चमार भाई ठाकुरो के बंधक के रूप में खेतिहर मजदूर थे। ठाकुर उन्हे दिनभर की मजदूरी के रूप में सवासेर अनाज देते थे। फसल कटाई में लोगो को एक बोझा अनाज की फसल का मिलता था, जिसमें 4-8 सेर अनाज के साथ साथ भूसा तथा पुआल भी जानवरों के लिये मिलता था। उन दिनो बैलों द्वारा खेती होती थी, सिचाई 6 पोखरो और 6 कुओं द्वारा होती थी। ठाकुर अपनी 1-2 बीघा जमीन मजदूरों को देते थे जिस पर इन लोगों द्वारा फसल उगा कर अपना खर्च चलाते थे। कुछ चमार बटाई पर जमीन लेकर फसल उगाते थे जिसमें इन्हे आधी फसल मिलती थी। गाँव में चमार समाज शादी आदि में खर्च हेतु ठाकुरो से धन उधार लेते थे, जिसके लिये चमारों को 25 से 37.5 प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ता था।

वर्ष 1963-64 में नहर बन गयी। सिचाई नहर के पानी से होने लगी, पानी पर भी ठाकुरो का वर्चस्व था। वे लोग पहले अपना खेत सिंचते, फिर चमारों को पानी मिलता था। नहर में पानी आने की अनिश्चित्ता के कारण सभी लोग नहर से पानी लेने हेतु टूट पड़ते थे। वर्ष 1972 की गरमियों की बात है। नहर में पानी आया, एक ठाकुर अपने खेत में पानी लगा रहा था। चमार समाज के एक बुजुर्ग व्यक्ति भी उसी सरकारी नाली से अपने खेत में पानी लेने लगा। ठाकुर को यह नागवार गुजरा कि एक चमार उसके साथ पानी ले रहा है।

ठाकुर ने खेत पर आकर पानी लेने से मना किया। चमार ने ठाकुर से अपने खेत में पानी आने देने के लिए प्रार्थना की। ठाकुर ने तुरन्त उस बुजुर्ग चमार को थप्पर मार दिया और पानी भी बंद कर दिया। बूढ़ा चमार रोता हुआ घर आया। उसके चार बेटे उस समय घर पर ही मौजूद थे। बूढ़े पिता को रोते हुए देख कर पहली बार उन सबका जोश जागा और चारो ने खेत पर जा कर ठाकुर कि पिटाई कर दी। ठाकुर चिल्लाता हुआ अपनी बस्ती में गया और वहां से कई लोग डांडा, लाठी लेकर गरजते हुए खेत की तरफ चले। शोर सुन कर चमारों की बस्ती के युवाओं ने भी हुंकार भरी। उनका भी स्वाभिमान जागा और वो भी डंडा लाठी जो भी मिला लेकर खेत की ओर दौड़ पड़े। जम कर मार पीट हुई। दोनों तरफ के 6-7 लोग घायल हुये। मामला पुलिस तक पहुंचा। दोनों तरफ के 6-7 लोगों को पकड़ कर थाने लाया गया और जेल में बंद कर दिया। सी.ओ ने जांच शुरू की।

मैं उस वक्त लखनऊ में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत था। यह संयोग ही था कि मैं किसी कार्यवश जौनपुर गया था। मुझे मामले की जानकारी हुई। मैं जांच अधिकारी सी0 ओ0 से मिला। समभवतः वह भी अनुसूचित जाति के थे। मैंने उनसे निवेदन कर समझौता कराने पर बल दिया। उन्हें बताया की गाँव के लोग हैं, आने वाले समय में भी गाँव में ही रहेंगे। मुलाकात के बाद मैं लखनऊ आ गया। सी0 ओ0 साहब ने गाँव वालों का समझौता करा कर सभी को जेल से रिहा करा दिया तथा गाँव वालों को चेतावनी भी दिया कि यदि आने वाले समय में लड़ाई हुई तो सजा दिलवाऊंगा।

इस घटना से यह बदला कि पूर्व में जब ठाकुर, चमार की बस्ती में आते थे तो सभी चमार चारपाई से उठ कर उन्हें प्रणाम करते थे तथा उनकी आज्ञानुसार कार्य करने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन घटना के बाद गाँव में गजब का बदलाव आया और ठाकुरों द्वारा बिना बात पर चमारों का किया जाने वाला उत्पीड़न बंद हो गया। अब ठाकुर चमारों की बस्ती में आते थे तो कोई भी चमार चारपाई से नहीं उठता था। ठाकुर लोग खड़े होकर अपनी बात कर के चले जाने लगे। खेती का सभी कार्य पूर्वतः चलता रहा और मजदूरी का कार्य चमार ही करते थे, लेकिन किसी भी ठाकुर कि हिम्मत नहीं होती थी कि चमार को गाली तक दे, प्रताड़ना तो दूर की बात हो गयी। मजदूरी दर भी स्वयं बढ़ गयी।

इस घटना के जरिये मैं अपने सभी भाईयों से केवल यह कहना चाहता हूँ कि एकता, संगठन में बहुत शक्ति होती है। जब वंचित समाज के अनपढ़ लोग अपनी समस्या का समाधान केवल एक बार के अपने संगठित प्रयास के जरिये निकाल पाने में सफल हुए तो पूरा समाज आपस में मिलकर अपने समाज के लिये काफी कुछ कर सकता है। ■

- फिरंती राम, लखनऊ (यूपी) में रहते हैं।
संपर्क- 9235501325